

प्रेषक,

ऋषि कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
(मधुबनी, जमुई, कटिहार, भोजपुर, सीतामढ़ी,
वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, लखीसराय एवं शिवहर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक-21/8/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के संधारणार्थ कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रु० 47,36,000/- (रु० सैंतालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-15.01.2026 (संशोधित) के द्वारा विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आपातकालीन सेवा, निरीक्षण एवं पठन-पाठन हेतु वाहन हेतु जिला क्रय समिति के दर पर वाहन सुविधा लेने का निर्णय लिया गया था विभिन्न जिलों के क्रय समिति के दर/एकरारनामा के अनुसार उक्त वाहनों के भाड़ा भुगतान में अनुमानित व्यय के आधार पर कार्यालय व्यय में मद कुल राशि रु० 47,36,000/- (रु० सैंतालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277-शिक्षा, उप शीर्ष 0010-पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय इकाई में विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-277-0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। उक्त आवंटित राशि का व्यय जिला क्रय समिति/एकरारनामा के अनुसार ही वाहन के भाड़ा भुगतान में किया जाएगा।

4-आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि के व्यय होने के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दिया जा रहा है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(ऋषि कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।
P.T.O

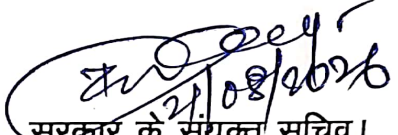
ज्ञापांक- पि०व०/बजट-30-02/2015 (खण्ड-II)- 92 पटना, दिनांक-21/8/2026
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित
जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा एवं
अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित अनुमण्डल, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
पदाधिकारी/ संबंधित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या +2 उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

(4) विभागीय बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार,
पटना को CFMS 2.0 प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागान्तर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में नियमानुसार रखे गए वाहनों के भाड़ा भुगतान हेतु आवंटित राशि की विवरणी :-

विपत्र कोड सं०-11-2225032770010

(राशि रु० में)

क्र०सं०	जिला का नाम	निकारसी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	13.01 कार्यालय व्यय
1	बाँका	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बाँका	172500.00
2	अररिया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अररिया	190000.00
3	कैमूर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, कैमूर	165000.00
4	बक्सर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बक्सर	195000.00
5	रोहतास	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, रोहतास	200000.00
6	पूर्णिया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पूर्णिया	192500.00
7	औरंगाबाद	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद	187500.00
8	जहानाबाद	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, जहानाबाद	189500.00
9	किशनगंज	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज	190000.00
10	दरभंगा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा	160000.00
11	पटना (अथमलगोला)	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना	230000.00
12	नवादा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, नवादा	185000.00
13	अरवल	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अरवल	189500.00
14	मधेपुरा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा	240000.00
15	खगड़िया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया	210000.00
16	गोपालगंज	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज	215000.00
17	गया	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, गया	184500.00
18	मुर्गेर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, मुर्गेर	190000.00
19	नालंदा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, नालंदा	195000.00
20	सुपौल	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सुपौल	180000.00
21	सहरसा	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, सहरसा	175000.00
22	समस्तीपुर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, समस्तीपुर	175000.00
23	शिवान	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, शिवान	175000.00
24	बेगूसराय	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय	175000.00
25	भागलपुर	जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर	175000.00
कुल योग			4736000.00

कुल राशि (रु० सैंतालीस लाख छत्तीस हजार) मात्र।

पत्रांक-92 दिनांक-21/08/26 का अनुलग्नक।

संस्कार के संयुक्त सचिव।